

न्यायालय:- अपर जिला न्यायालय गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क्र० 06/14 मु०दी०

- 1- कुमारी काजल पुत्री रामसिंह उम्र 16 वर्ष।
- 2- राजीव पुत्र रामसिंह उम्र 13 साल। सरपरस्त बहन कुमारी मनीषा निवासी गडा मोहल्ला गोहद। सरपरस्त का तत्कालिक निवास बाथम धर्मशाला वाली गली कुम्हर पुरा ठाटीपुर मुरार ग्वालियर।

.....आवेदकगण

बनाम

सर्वसाधारण

.....अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री गब्बर सिंह गुर्जर अधि०
सर्वसाधारण की ओर से कोई नहीं।

// आ दे श //

(आज दिनांक 26-9-14 को पारित किया गया)

01. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 8 संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 का निराकरण किया जा रहा है। जिसमें आवेदकगण जो कि नावालिग है उनकी बड़ी बहन के द्वारा उनका संरक्षक नियुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

02. प्रस्तुत आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि आवेदकगण तथा उनकी बड़ी बहन कुमारी मनीषा के पिता श्री रामसिंह नगरपालिका परिषद गोहद में भृत्य के पद पर पदस्थ थे। सेवाकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। रामसिंह

के जीवनकाल में ही आवेदकगण की माँ का भी स्वर्गवास हो गया था, तब वह तथा कुमारी मनीषा नावालिक थीं जो कि अपने नाना रामबाबू को संरक्षकता में रहते थे। उनके समक्ष संरक्षकता में पिता रामसिंह के सेवाकाल में प्राप्त होने वाले फंडों को प्राप्त करने बावत् उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र हेतु आवेदनपत्र व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद के समक्ष पेश किया था जो कि प्रकरण क्रमांक 05/ 13 सक्सेशन में पंजीबद्ध होकर दिनांक 21.10.13 को आदेश पारित कर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया गया। नगरपालिका परिषद गोहद से प्राप्त होने वाली धनराशि आवेदकगण के संरक्षक रामबाबू प्राप्त नहीं कर पाए थे उसके पूर्व ही दिनांक 30.04. 2014 को उनका स्वर्गवास हो गया। उनका स्वर्गवास होने से संरक्षक के अभाव में आवेदकगणों को मिलने वाली धनराशि नगरपालिका परिषद गोहद से नहीं मिल पा रही है। आवेदकगण की सगी बहन कुमारी मनीषा 18 वर्ष की होकर पूर्ण बालिग होकर संरक्षक बनने की अधिकारिता रखती है। आवेदकगण कुमारी मनीषा की संरक्षकता एवं देख रेख में ही रह रहे हैं उनका कोई अन्य विधि नैसर्गिक संरक्षक नहीं है। आवेदकगण नाबालिग हैं उनका पूर्व संरक्षक रामबाबू की मृत्यु होने के बाद नवीन संरक्षक नियुक्त करने के लिए आवेदनपत्र पेश किया गया है। कुमारी मनीषा उनकी सगी बहन हैं जिसके संरक्षणता वह वर्तमान में रह रहे हैं। ऐसी दशा में नगरपालिका परिषद गोहद से प्राप्त होने वाली धनराशि के लिए नवीन संरक्षक नियुक्त किए जाना आवश्यक है। अतः उनके बालिग होने तक कुमारी मनीषा पुत्र रामसिंह उम्र 18 साल जाति बाथम निवासी गढा मोहल्ला गोहद, हाल निवासी बाथम धर्मशाला वाली गली कुम्हरपुरा ठाठीपुर ग्वालियर को संरक्षक नियुक्त किए जाने का निवेदन किया है।

03. उक्त आवेदनपत्र पेश होने के उपरांत इस संबंध में सर्व-साधारण को सूचनापत्र प्रकाशित कराया गया, किन्तु सूचनापत्र के प्रकाशन के उपरांत भी किसी की कोई आपत्ति पेश नहीं हुई।

04. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि—

क्या आवेदकगण के आवेदन के आधार पर कुमारी मनीषा आवेदकगण की संरक्षक नियुक्त की जा सकती है?

::- निष्कर्ष के आधार:-:

05- आवेदकगण के द्वारा धारा 8 संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अंतर्गत आवेदनपत्र पेश होने के उपरांत उक्त आवेदनपत्र के संबंध में सर्वसाधारण को दैनिक समाचारपत्र के माध्यम से सूचनापत्र जारी किया गया। सर्वधारणा की ओर से सूचनापत्र जारी होने के उपरांत कोई आपत्ति किसी की ओर से इस संबंध में नहीं आई।

06- कुमारी मनीषा जो कि आवेदकगणों की बड़ी बहन है के द्वारा साक्ष्य के संबंध में प्रस्तुत शपथपत्र में आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि उसका जन्म दिनांक 07.07.1996 का है और वह 18 वर्ष से अधिक की हो चुकी है। उसकी बहिन कुमारी काजल और भाई राजीव उसकी सरपरस्ती में रहती है उसके अलावा उनका कोई अन्य संरक्षक नहीं है। नगरपालिका परिषद गोहद में उसके पिता रामसिंह भृत्य के पद पर पदस्थ थे, जिनकी कि मृत्यु सेवाकाल में हो गई है और उसकी माँ का स्वर्गवास उससे पहले हो गया है। रामसिंह के सेवाकाल के फंडों को प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र बावत् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद के समस्त पेश किया गया था जो प्र.क्र. 05/13 पर पंजीबद्ध हुआ। जिसमें कि उनके संरक्षक रामबाबू थे। रामबाबू दिनांक 30.04.14 को स्वर्गवास हो गया है। उनके स्वर्गवास होने से संरक्षक के अभाव में मिलने वाली धनराशि प्राप्त नहीं हो पाई है। ऐसी दशा में नावालिग बहन कुमारी काजल एवं भाई राजीव का संरक्षक नियुक्त किए जाने का निवेदन किया है। आवेदिका की ओर से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के संबंध में आदेश दिनांक 21.03.13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 1, उनके मृत संरक्षक रामबाबू की मृत्यु का प्रमाणपत्र दिनांक 30.04.14 प्र.पी. 2 एवं स्वयं का आधार कार्ड प्र.पी. 3, माध्यमिक विद्यालय की अंकसूची प्र.पी. 4 पेश की है।

07- आवेदकगण के पिता रामसिंह जो कि नगरपालिका परिषद गोहद में भृत्य के पद पर पदस्थ थे। उनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाने से धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के संबंध में उनके नाना रामबाबू को नावालिगों का संरक्षक नियुक्त किया गया था जो कि दिनांक 21.10.2013 को व्यवहार

न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद के द्वारा उन्हें मृतक रामसिंह का उत्तराधिकारी घोषित किया गया जिसमें कि कुमारी मनीषा जिसको कि वर्तमान आवेदक वर्तमान में अपना संरक्षक नियुक्त करना चाहते हैं। उस समय वह 17 वर्ष की नाबालिग होने से उसके संबंध में भी रामबाबू को उसका सरपरस्त नियुक्त किया गया है। इस संबंध में आदेश प्र.पी. 1 आवेदकगण की ओर से पेश किया गया है। उनके संरक्षक रामबाबू बाथम की मृत्यु दिनांक 30.04.2014 को होने के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र प्र.पी. 2 पेश किया गया है जिससे स्पष्ट है कि संरक्षक रामबाबू बाथम की भी मृत्यु हो चुकी है।

08— वर्तमान में प्रस्ताविक संरक्षक मनीषा जो आवेदकगणों की बड़ी बहन है उसके द्वारा धारा 10(3) संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत संरक्षक बनने हेतु अपने रजामंदी का घोषणापत्र पेश किया गया है जो कि उसके द्वारा हस्ताक्षरित है तथा दो अनुप्रमाणक साक्षियों के द्वारा भी प्रमाणित है। आवेदिका मनीषा के बालिग होने के संबंध में आधारकार्ड प्र.पी. 3 तथा माध्यमिक विद्यालय की अंकसूची प्र.पी. 4 पेश है। अंकसूची के अनुसार उसकी जन्मतिथि 07.07.96 दर्ज है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में दिनांक 21.10.2013 के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त बावत् आदेश में भी उसकी उम्र 17 साल की होना उल्लेखित है। इस प्रकार वर्तमान में वह 18 साल की होकर बालिग होना प्रमाणित है।

09— उपरौक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि आवेदकगणों का कोई प्राकृतिक संरक्षक जीवित नहीं है। प्रस्ताविक संरक्षक मनीषा उनकी बड़ी बहन है। अपने नाबालिक भाई बहन का संरक्षक नियुक्त किए जाने से उनका कोई हित प्रभावित एवं प्रतिकूलित भी नहीं होगा। जो कि पर्याप्त रूप से समझदारी की उम्र एवं समझदार है तथा उसका हित नाबालिकों के हित के प्रतिकूल नहीं है और उसके द्वारा स्वयं नाबालिगों का संरक्षण घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

10— तदनुसार नाबालिग कुमारी काजल एवं राजीव के संरक्षक के रूप में कुमारी मनीषा पुत्री रामसिंह उम्र 18 वर्ष निवासी गडा मोहल्ला गोहद, तत्कालिक पता निवासी बाथम धर्मशाला वाली गली कुम्हर पुरा ठाटीपुर मुरार ग्वालियर को संरक्षक नियुक्त किया जाता है। उक्त संरक्षक नाबालिकों के हित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगी और यदि हित विरुद्ध कार्य किया जावेगा तो उसे संरक्षक के कर्तव्यों से हटाया जा सकता है। संरक्षक कुमारी मनीषा नगरपालिका परिषद से प्राप्त होने वाली

पिता रामसिंह की राशि में उक्त दोनों ही नाबालिग आवेदकगण कुमारी काजल और राजीव का हिस्सा उनके बालिग होने तक राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा कराएगी।

११— अभिभाषक शुल्क आवेदिका स्वयं वहन करेगी।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड